आदेश पत्रक

आदेश पत्रक तारीख – 25.06.2024 से 24.07.2024

वाद संख्या – 07/2024–25

केस का प्रकार – अतिक्रमण वाद (ई–राजस्व न्यायालय)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	
25.06.2024	अभिलेख उपस्थापित। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक अंचल राजमहल के द्वारा सूचित किया गया है कि मौजा – बेगमपुरा, थाना सं0 – 84 अनावदी भूमि खाता सं0 – 47, दाग सं0 – 42 कुल रकवा 04 बी0 08 क0 19 धूर जमीन किस्म – तालाब पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसका स्थलीय जाँच किया जा सकता है। उक्त प्राप्त सूचना के आधार में अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्थलीय जाँच करने एवं अतिक्रमण कारियों को चिन्हित कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक को सयुंक्त रूप से जाँच करने का आदेश दिया जाता है। अंचल अधिकारी, राजमहल।	
10.07.2024	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक अंचल राजमहल द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त! जाँच प्रतिवेदन में उक्त भूमि अनावादी खाता एवं किस्म – तालाब कहकर भू–अभिलेख में दर्ज होने का उल्लेख किया गया है, जिसपर बेचनी पहाड़िन द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। बेचनी पहाड़िन को नोटिस निर्गत करें। तदनुसार नोटिस निर्गत किया गया। वाद की सुनवाई की अगली तिथि – 24.07.2024 को अभिलेख उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, राजमहल।	
24.07.2024	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। बेचनी पहाड़िन उपस्थित। इनके द्वारा बताया गया कि उन्हें सरकार द्वारा पट्टा प्राप्त है तथा पट्टा वाले भूमि पर मेरा घर है। मैं पोखर वाले भूमि का अतिक्रमण नही कर रही हूँ। पट्टा उपस्थापित किया गया। बेचनी पहाड़िन को यह आदेश दिया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी भूमि का अतिक्रमण नही करें। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक इसे सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित** अंचल अधिकारी, राजमहल। **लेखापित एवं संशोधित** अंचल अधिकारी, राजमहल।	

CamScanner

कार्यालय, अंचल अधिकारी, राजमहल (साहेबगंज)।

नोटिस

ज्ञापांक 502/रा0, दिनांक – 12/06/2024

प्रेषित,

नाम – बेचनी पहाड़िन,

पिता/पति – खोगेन पहाड़िया,

सा0 + मौजा – बेगमपुरा, राजमहल।

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि राजस्व उपनिरीक्षक, प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन, अंचल राजमहल के प्रतिवेदनानुसार मौजा – बेगमपुरा के थाना न0–84, अनावादी खाता सं0 – 47, दाग न0 – 42 के रकवा 04 बी0 08 क0 19 धूर जमीन किस्म पोखर कहकर दर्ज है। आपके द्वारा उक्त भूमि पर मिट्टी भर कर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया हैं, जो बिहार/झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956/2020 के तहत अवैध कब्जा है।

अतः आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक – 27/06/24 तक अविलंब अतिक्रमण हटा लें या अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। अन्यथा प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाते हुए आपके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

इसे अत्यावश्यक समझें।

A. Sinha 12/06/24

अंचल अधिकारी,

राजमहल।

12/06/2024

बेचनी पहाड़िन

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINHA
Date: 2024.07.30 19:56:18 +05:30
Location: 192.168.29.93

CamScanner

CamScanner